न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/372

गोपाल आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

मुकेश आत्मज श्री देवप्रकाश जाति ब्राह्मण दाधीच निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 20.03.2020

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 793/335 रकबा 10 बीघा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के 04 बिस्वा भूमि के भाग पर प्रतिवादी ने अभी माह फरवीर सन् 2015 में जबरन व अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है । प्रतिवादी का वादी की उक्त 04 बिस्वा भूमि पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह प्रतिवादी को वादग्रस्त आराजी के 04 बिस्वा भूमि से बेदखल करावे और कब्जा प्राप्त करे ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी 04 बिस्वा भूमि पर से बेदखल किया जाकर उक्त भूमि से प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाया जावे तथा प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह उक्त विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं करें और न ही अन्य से करावे । वाद प्रस्तुती तिथि से कब्जा प्राप्त किये जाने तक की अवधि में 5000/– रूपये सालाना पेनेल्टी वादी को प्रतिवादी से दिलाये जावें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 के द्वारा वाद वादी खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट वादी ने न्यायालय हाजा में अपील पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी अपीलान्ट के खाते एवं कब्जे की भूमि है जिस पर प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट ने जबरन कब्जा कर लिया जिससे उसे बेदखल करने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायायल ने त्रुटिपूर्ण रूप से वादी अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अपीलान्ट वादी ने प्रतिवादी के खिलाफ अपने खाते एवं कब्जे की कृषि भूमि वाके ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 793/335 की रकबा 10 बीघा भूमि के लिए बेदखली का दावा पेश किया था और यह कथन किया था कि माह फरवरी, 2015 में प्रतिवादी ने वादी की आराजी पर जबरन कब्जा कर लिया है । प्रतिवादी के खिलाफ दिनांक 14.12.2016 को एक तरफा कार्यवाही की गई थी फिर भी दावा वादी खारिज किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय ने यह कथन करते हुए दावा खारिज किया है कि वादी अपीलान्ट यह बताने में असमर्थ रहा है कि प्रतिवादी कब्जेशुदा आराजी पर कृषि कार्य कर रहा है या निर्माण कार्य कर रहा है अथवा फिर अन्य किसी तरह से कार्य कर रहा है । धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत खातेदार को अनाधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ बेदखली का दावा लाने का अधिकार है । प्रतिवादी क्या कर रहा है यह दावे के निर्णय के लिए आवश्यक नहीं है । खाते की नकल पेश की गई है और बयान भी अपीलान्ट के कराये गये हैं फिर भी दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा वादी को स्वयं सिद्ध करना होता है । वादी ने खसरा गिरदावरी पेश नहीं की है अन्य कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। यह सिद्ध नहीं किया है कि प्रतिवादी वादग्रस्त आरीाजी में कृषि कार्य कर रहा है अथवा अन्य किसी प्रकार से उपरोक्त कार्य कर रहा है और जहॉ तक हर्जा दिलाये जाने का प्रश्न है तो

उसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 बहाल रखा जावे ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में वादी के द्वारा बेदखली का दावा पेश किया गया है जिसमें प्रतिवादी की तामील होने के उपरान्त उनके उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 14.12.2016 को एक तरफा कार्यवाही की गई । वादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2070–73 प्रदर्श – 1 पेश की है जिसमें वादग्रस्त आराजी के खातेदार वादी हैं ।

10. पत्रावली पर बयान वादी गोपाल पीडब्ल्यू–1 कराये गये हैं ।

11. प्रतिवादी के द्वारा दिनांक 14.12.2016 के उपरान्त एक तरफा कार्यवाही निरस्त करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की है और अपील में भी उनके द्वारा ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि उनको वादग्रस्त आराजी पर कब्जा करने का अधिकार किस प्रकार से है । वादी वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि माह फरवरी में उनके खाते की आराजी में से 04 बिस्वा आराजी पर प्रतिवादी ने जबरन कब्जा कर लिया है । इसका खण्डन प्रतिवादी ने दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से नहीं किया है । खातेदार कृषक को धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत बेदखली का दावा अन्दर मियाद लाने का पूर्ण अधिकार है । इस दावे के लिए यह बताया जाना आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादी कब्जेशुदा आराजी पर क्या कार्य कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं अथवा निर्माण कार्य कर रहे हैं या अन्य किसी प्रकार से कृषि भूमि का उपयोग कर रहे हैं । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । प्रतिवादी को वादी के खाते की आराजी पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है और दावे एवं उसके समर्थन में पेश किये गये साक्ष्य वादी के अनुसार दावा वादी अन्दर मियाद है जिसका खण्डन प्रतिवादी के द्वारा नहीं किया गया है । तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय ने दावा वादी खारिज करने में विधिक त्रुटि की है ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 निरस्त किया जाता है । वादी अपीलान्ट के खाते की आराजी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 793/335 रकबा 10 बीघा भूमि में से 04 बिस्वा भूमि से प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं ।

13. निर्णय आज दिनांक 20.03.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/372

गोपाल आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——अपीलार्थी

बनाम

मुकेश आत्मज श्री देवप्रकाश जाति ब्राह्मण दाधीच निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी ।

वाद संख्याः 67/दावा/2015

गोपाल आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——वादी

बनाम

मुकेश आत्मज श्री देवप्रकाश जाति ब्राह्मण दाधीच निवासी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेडा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 20.03.2020 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री सुरेन्द्र नारानीवाल अपीलान्ट की ओर से एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री लीलाधर सिंह के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2018 निरस्त किया जाता है । वादी अपीलान्ट के खाते की आराजी ग्राम कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 793/335 रकबा 10 बीघा भूमि में से 04 बिस्वा भूमि से प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को बेदखल कर कब्जा वादी को संभलाये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 20.03.2020 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

20/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा